2017 का विधेयक संख्यांक 113

[दि बैंकिंग रेगुलेशन (अमेडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 4 मई, 2017 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

नई धारा 35कक और धारा 35कख का अंत:स्थापन ।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 35क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 1949 का 10

केन्द्रीय सरकार की रिजर्व बैंक को बैंककारी कंपनियों को दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति ।

'35कक. केन्द्रीय सरकार, किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन किसी व्यतिक्रम की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकेगी । 2016 का 31

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "व्यतिक्रम" पद का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 के खंड (12) में उसका है । 2016 का 31

रिजर्व बैंक की दबावयुक्त आस्तियों के संबंध में निदेश जारी करने की शक्ति ।

35कख. (1) धारा 35क के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक समय-समय पर, दबावयुक्त आस्तियों के समाधान के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को दबावयुक्त आस्तियों के समाधान के संबंध में सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों या समितियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे, जिन्हें रिजर्व बैंक नियुक्त करे या नियुक्ति का अनुमोदन करे ।'।

धारा 51 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में "35क" अंकों और अक्षर के पश्चात् "35कक, 35कख" अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का निरसन किया जाता है । 2017 का अध्यादेश संख्यांक 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1949 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बैंककारी प्रणाली में दबावयुक्त आस्तियां या गैर-निष्पादनकारी आस्तियां अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तरों पर पहुंच गई हैं और इसलिए, देश के उचित आर्थिक विकास के लिए बैंककारी कंपनियों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए उनके त्वरित समाधान हेतु अत्यावश्यक उपाय करना अपेक्षित है । अतः, भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उपबंध करना आवश्यक समझा गया था जिससे कि दबावयुक्त आस्तियों के समय पर समाधान हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों का प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को निदेश जारी किए जा सकें ।

2. तद्नुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था । चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी, इसलिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1917, 4 मई, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था ।

3. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017, जो बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन किसी व्यतिक्रम की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों को निदेश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदत्त करना ;

(ख) दबावयुक्त आस्तियों के समाधान के संबंध में बैंककारी कंपनियों को निदेश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदत्त करना और दबावयुक्त आस्तियों के समाधान पर बैंककारी कंपनियों को सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकारी या समितियां विनिर्दिष्ट करने के लिए रिजर्व बैंक को भी अनुज्ञात करना ; और

(ग) अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करना, जिससे कि उसमें प्रस्तावित नई धारा 35कक और धारा 35कख का निर्देश किया जा सके ।

4. विधेयक, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 जुलाई, 2017

अरूण जेटली

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक में अन्तर्विष्ट उपांतरणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017, जो बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को निरसित और प्रतिस्थापित करने के लिए है, उक्त अध्यादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों में निम्नलिखित उपांतरण करने का प्रस्ताव करता है, अर्थात् :--

धारा 35कख में "बैंककारी कंपनी" पद को "किसी बैंककारी कंपनी या बैंककारी कंपनियों" पद से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसे धारा 35क के साथ पंक्तिबद्ध किया जा सके और अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए एक नया खंड अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि उसमें प्रस्तावित नई धारा 35कक और 35कख का निर्देश किया जा सके । उक्त उपांतरण प्रारूपण या पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

उपाबंध

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

* * * * * *

1955 का 23

कतिपय उपबंधों का भारतीय स्टेट बैंक और अन्य अधिसूचित बैंकों को लागू होना ।

51. (1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों पर अथवा किसी अन्य अधिनियमिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 10, 13 से लेकर 15, 17, 19 से लेकर 21क, 23 से लेकर 28, उपधारा (3) को अपवर्जित करके धारा 29, 29क, धारा 30 की उपधारा (1ख), (1ग) और (2), धारा 31, 34, 35, 35क, उपधारा (1) के खंड (घ) को अपवर्जित करके धारा 36, धारा3 45म से लेकर 45यच, धारा 46 से लेकर 48, धारा 50, 52 और 53 भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी तत्स्थानी नए बैंक अथवा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अथवा समनुषंगी बैंक को और उसके संबंध में, जहां तक संभव हो ऐसे ही लागू होंगी जैसे वे बैंककारी कंपनियों को और उनके संबंध में लागू होती है :

परन्तु–

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) की कोई बात भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को अथवा किसी समनुषंगी बैंक के प्रबंध निदेशक को वहां तक लागू न होगी जहां तक कि उक्त खंड उसे रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी संस्था का निदेशक होने का या उसमें कोई पद धारण करने से प्रभारित करता है ;

(ख) धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iii) की कोई बात उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बैंक को वहां तक लागू नहीं होगी जहां तक खंड (ख) का उक्त उपखंड (vi), किसी ऐसे कंपनी को या उसकी ओर से (जो सरकारी कंपनी नहीं है) कोई उधार या अग्रिम देने के लिए कोई अभिबंधन करने से उस बैंक को निवारित करती है जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून समादत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व के किसी निगम द्वारा चाहे अकेले या साथ मिलकर धारित है ; और

(ग) धारा 46 या धारा 47क की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :--

(i) केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक के ऐसे किसी अधिकारी को लागू नहीं होगी जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्स्थानी नए बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है ; या

(ii) भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्स्थानी नए बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या समनुषंगी बैंक के ऐसे किसी अधिकारी को लागू नहीं होगी जो उक्त किसी बैंक का (जो ऐसा बैंक नहीं है जिसमें वह अधिकारी है) या किसी बैंककारी कंपनी में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है ।

* * * * *

GMGIPMRND—1162LS(CRC)—18-07-2017.